

8 $\frac{11}{24}$ पत्रावली पेश हुई। P.O साक्ष्य नार्डोली जाये है। पत्रावली
दिनांक 10-1-25 को पेश हो/से

10 $\frac{1}{25}$ वकील सायल उप्र. वकील सायल ने ललमी की कुराई
है। अतः ललमी पारिये शर्त. 11% से कुराई जावे। अन्यथा
धारा 09 R 5 CPC की कार्यवाही की जावेगी। पत्रा-
वाही ललमी हेतु दिनांक 20-1-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
वामनवास

20 $\frac{1}{25}$ पत्रावली पेश हुई। वकील सायल उप्र. नली है
कार-कार आवाज हिलाई गई। कोई उप्र. नली
है। वकील सायल का प्र-पत्र T.II धारा
09 R 3 CPC के तहत खारीत किया जाता
है। पत्रावली प्रैसल थूगाट लोकल कंड ललमी
दफ्तर दारिकल की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
वामनवास